अत्यधिक आर्थिक विषमता आर्थिक विषमता भी

एकता के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न करती है। जो अधिक निर्धन या अभावग्रस्त हैं जिन्हें मेहनत करने पर भी पेट भर भोजन नहीं मिला वे अट्टालिकाओं में विलास के सब साधनों के साथ मौज करने वालों के प्रति ईर्ष्या-द्वेष का भाव रखें तो अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। गरीबों और श्रमिकों में ही नहीं, मध्यम वर्ग के लोगों में भी शोषण के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। देश में कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं तो कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं। राज्यों में भी कुछ क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया जबकि कुछ क्षेत्रों की आर्थिक दृष्टि से पूर्ण उपेक्षा कर दी गयी। आज भी देश में रोजगार के अवसरों के वितरण तथा राष्ट्रीय सम्पदा के बंटवारे के प्रश्नों को लेकर संघर्ष उत्पन्न होते हैं। यदि किसी सार्वजनिक निगम की स्थापना का प्रश्न हो तो आर्थिक कारणों से प्रादेशिक राजनीतिक दबाव का सहारा लिया जाता है। जब देश व समाज में एक वर्ग के लोगों में दूसरे वर्ग के लोगों के प्रति, एक राज्य के लोगों में दूसरे राज्य के लोगों के प्रति द्वेष व विरोध की भावना उत्पन्न होगी तो राष्ट्रीय एकता कभी अक्षुण्ण नहीं रह सकती। आर्थिक विषमता ने वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को जन्म दिया है जो समाज में अशान्ति और संघर्ष का सृजन करता है।

7. भाषागत विभिन्नता-भारत में भाषा की समस्या निराली

है। भाषा की समस्या भारतीय एकता के लिए निस्सन्देह एक कसौटी या चुनौती है। स्वाधीनता संघर्ष के समय कांग्रेस भाषा के आधार पर प्रान्तों की रचना के सिद्धान्त को मान चुकी थी। स्वाधीनता के बाद आन्ध्र के लोगों ने अपनी यह मांग पेश की कि तमिल और तेलुगु बोलने वाले दो पृथक् प्रान्तों में ब्रिटिश काल के मद्रास प्रान्त को विभाजित कर दिया जाए। एक सम्मानित आन्ध्र नेता पोत्रि श्रीरामुलु ने आमरण अनशन द्वारा ने इस प्रश्न पर अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए और उसके बाद जब विस्तृत दंगे और लूटमार शुरू हुई तो सरकार ने आन्ध्र प्रदेशकी मांग स्वीकार कर ली। उसके बाद भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन किया गया पर भाषा के अनुसार प्रान्तों का पुनर्गठन तो समस्या का पहलू था। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह था कि सारे देश के लिए व्यवहार और सम्पर्क के लिए यह भाषा कौन-सी हो ? अंग्रेजी को स्वीकार करना राष्ट्रीय भावना के प्रतिकूल पड़ता था। राष्ट्रभाषा का दूसरा विकल्प हिन्दी भाषा ही हो सकती थी, परन्तु संविधान में हिन्दी को चालू रखने के लिए पन्द्रह वर्ष की जो अवधि रखी गयी थी, उसमें अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिए न तो सरकार और नगैर-सरकारी संस्थाओं ने ही पूरा काम किया। संविधान में कहा गया था कि संघ सरकार की भाषा हिन्दी भाषा होगी, परन्तु सन् 1965 तक अंग्रेजी में काम होता रहेगा और उसके बाद स्थिति पर विचार किया जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे संविधान में निर्धारित तिथि पास आती गयी वैसे-वैसे मतभेद बढ़ता गया। अब तक प्रादेशिक भावना बहुत बढ़ चुकी थी। हिन्दी के कट्टर समर्थकों ने अपने जोश से

दूसरी भाषा वालों को नाराज कर दिया और उनके मन में यह भाव घर कर गया कि हिन्दी, देश की अनेक भाषाओं में से केवल एक है। जब हिन्दी में काम करने की तिथि 26 जनवरी, 1966 आयी तो अहिन्दी क्षेत्रों में असन्तोष उत्पन्न हुआ और आन्दोलन हुए। मद्रास में दो द्रमुक नेताओं ने आत्मदाह किया, आन्दोलन घटनाएं हुईं। हुए और लूटपाट

भाषागत मांगों के कारण आन्ध्र प्रदेश बना, महाराष्ट्र बन गया, और पंजाब का भी विभाजन हो गया। एन. सी. राय ने ठीक लिखा है कि "भाषावाद का क्रम प्रारम्भ हो चुका है, यह एक शेर है जो रास्ते पर आ गया है, या तो उसे मार दिया जाय या फिर वह भारतीय राष्ट्र को मार देगा।"

8. राजनीतिक अवसरवादिता–राजनीतिक अवसरवादिता राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। देश में राजनीतिक दल जाति, धर्म, भाषा, आदि के बल पर चुनाव जीतने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहते। राजनीतिक दल प्रादेशिक और क्षेत्रीयता की संकीर्ण भावनाओं को फैलाते हैं और विघटनकारी तत्वों के साथ सांठ-गांठ करते नहीं हिचकिचाते हैं। देश में साम्प्रदायिकता फैलाने में स्थानीय राजनीतिज्ञों का यदा कदा बड़ा हाथ रहता है और पृथकतावादी आन्दोलनों को उग्र रूप देने में भी राजनीतिक दलों की भूमिका रही है।हिंसात्मक गतिविधियाँ देश में हिंसात्मक आन्दोलन होते हैं, असंवैधानिक साधनों का खुलकर प्रयोग किया जाता है और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ समय पूर्व नक्सलवादियों ने तो देश में अराजकता फैलाने के लिए हिंसा का खुलकर प्रयोग किया। कुछ राजनीतिक दलों तथा गुटों ने निर्वाचित विधानसभाओं को भंग कराने के लिए गुजरात और बिहार राज्यों में विशाल आन्दोलन शुरू किए। हिंसा और अराजकता के वातावरण का प्रसार राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष दुःखदायी है।

10. सामाजिक विभेद देश में पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक क्षेत्र में निराशा का अनुभव कर रहे हैं। खान-पान, विवाह और सामाजिक सम्पर्क में जो भेदभाव का व्यवहार उनके साथ उच्च जातियों द्वारा अपनाया जाता है उससे उनके मन में कड़वाहट बढ़ती है। वे जानते हैं कि बहुसंख्यक एवंराजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से सशक्त प्रभावशाली जातियां उनके ऊपर उठने के खिलाफ हैं।

11. भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह घुन की तरह काम करता है और शासन एवं समाज को अन्दर-ही-अन्दर जर्जरित बना देता है। भाई-भतीजावाद, रिश्वतखोरी, आदि जनता के विश्वास को हिला देते हैं और लोकतन्त्र सबल बनने के बजाय कमजोर हो जाता है। निष्कर्षत,

अनेकरूपता भारतीय जीवन का विशिष्ट गुण रहा है । संविधान द्वारा 'अनेकता में एकता' की प्राप्ति का अनूठा प्रयास किया गया, किन्तु संविधान के क्रियान्वयन के पश्चात् इन विविधताओं से देश की एकता को खतरा पैदा हो गया और प्रादेशिकता, भाषावाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता, आदि देश की प्रमुख समस्याएं बन गयीं।

रजनी कोठारी के अनुसार, राजनीतिक विकास की बुनियादी समस्या एकीकरण की है, अर्थात् नए राजनैतिक केन्द्र बिन्दु की स्थापना और दृढ़ीकरण, उसका बहिर्मुख प्रसार, विभिन्न संस्थाओं का पल्लवन, विविधता को एक सूत्र में संग्रहण कर एक राष्ट्र का निर्माण अर्थात् एकीकरण की क्षमता का विकास यहीं समस्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रही है। स्वतन्त्रता के बाद भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया से रहा है गुजर ..राष्ट्र निर्माण एवं एकीकरण के लिए दो तरीके अपनाए गए एक, सरकार और सरकारी या शासक दल की गतिविधियों के द्वारा देश में एकता की स्थापना और उसका दृढ़ीकरण दूसरे देश के विभिन्न तत्वों के अधिकारों और हितों का संरक्षण और मान्यता देकर उनको राष्ट्रीय जीवन और राजनैतिक व्यवस्था में शामिल करना ।

भारत की राजनैतिक एकता में राष्ट्रीय सरकार की प्रधानता और अन्य हितों व अल्पसंख्यकों के प्रति समझौते और निभाव की भावना, इन दो प्रवृत्तियों का प्रमुख योग है।